



सार्वजनिक सूचना

कृपया ध्यान दें !

रोहिणी आवासीय योजना-1981 के आवंटिती

जिन्हें 2014 के बाद से मांग-एवं-आवंटन पत्र/कब्जा पत्र जारी किए गए

सक्षम प्राधिकारी द्वारा रोहिणी आवासीय योजना-1981 के आवंटियों/आवेदकों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से, ब्याज और पुनः बहाली प्रभार, जैसा लागू हो, के भुगतान के अधीन, 31.12.2019 तक प्लॉट के प्रीमियम का भुगतान (पहली, दूसरी व तीसरी किस्त) करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, जिन्हें रोहिणी आवासीय योजना (आरआरएस) - 1981 के अंतर्गत 2014 के बाद से मांग-एवं-आवंटन-पत्र जारी किए गए थे।

जिन आवंटियों को 2014 के बाद कब्जा पत्र पहले ही जारी किया जा चुका था और उन्होंने अपने प्लॉट का वास्तविक कब्जा नहीं लिया था, वे भी निर्धारित अवधि के अंदर वास्तविक कब्जा नहीं लेने का उचित कारण बताते हुए पुनः बहाली प्रभार और जुर्माना, जैसा लागू हो, के भुगतान के अधीन 31.12.2019 तक अपने कब्जा पत्र के पुनः वैधीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उप-निदेशक, एलएसबी (रोहिणी)

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें

कृपया दि.वि.प्रा की वेबसाइट www.dda.org.in देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें